महत्वपूर्ण एवं खास

सड़क हादसे रोकने पेड़ों पर लगाया गया रेडियम पट्टी

कोरबा-रायपुर (आरएनएस)। सडक़ सुरक्षा माह के तहत कोरबा पुलिस द्वारा सडक़ मोड़ों पर दुर्घटनाओं को रोकने हेतु ट्रैफिक पुलिस द्वारा वृक्षों एवं खंभों पर सफेद पेंट एवं रेडियम पट्टीकरण कार्य किया जा रहा है। एसपी एस. तिवारी के निर्देशन में एवं यातायात एवं क्राइम प्रभारी आर. के. मीना के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सडक़ सुरक्षा माह के तहत करतला, पसान, भैसमा, बागों एवं पाली क्षेत्र के सडक़ मोड़ों पर दुर्घटनाओं को रोकने हेतु ट्रैफिक पुलिस द्वारा सफेद पेंट एवं रेडियम पट्टीकरण कार्य किया गया। 100 से अधिक पेड़ो पर सफेद पेंट एवं 200 से अधिक पेड़ो एवं खंभों पर रेडियम पट्टीकरण का कार्य किया गया इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से घुमावदार मार्गों पर दृश्यता बढ़ाकर वाहन चालकों को सुरक्षित मार्गदर्शन प्रदान करना एवं सडक़ हादसों को रोकना है। यह कार्य प्रमुख सडक़ों, अंधे मोड़ों एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में किया गया, जिससे वाहन चालकों को दूर से ही मोड़ स्पष्ट दिखाई दे और वे अपनी गति नियंत्रित कर सुरक्षित ड्राइविंग कर सकें।सडक़ सुरक्षा माह के दौरान ऐसे कई अन्य प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे सडक़ दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और इस अभियान में पुलिस का सहयोग करें। कोरबा ट्रैफिक पुलिस सडक़ सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस दिशा में प्रभावी कदम उठाती रहेगी।

नागरिकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की अपील

जशपुर-रायपुर (आरएनएस)आज महाराजा चौक में नेहरु युवा केंद्र जशपुर के युवाओं द्वारा यातायात पुलिस के साथ मिलकर सडक़ सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। जिसमें यातायात पुलिस के जवान मनोहर लकड़ा ने युवाओं को यातायात नियमों की जानकारी दी। महाराजा चौक में आज नेहरू युवा केंद्र जशपुर के 25-30 युवाओं ने नागरिकों को यातायात सुरक्षा हेतु जागरूक किया। जिसमें हेलमेट पहनने, तीन सवारी न करने, सीट बेल्ट लगाने , शराब पीके वाहन न चलाने, नंबर प्लेट और लाइसेंस के साथ वाहन चलाना के लिए नागरिकों से अपील किया गया। इस अवसर पर नेहरु युवा केंद्र से सूर्यकांत चंद्रा और संजीव भगत उपस्थित रहे।

झोपड़ी में गांजा बेच रहा था युवक, पुलिस ने दबोचा

धमतरी-रायपुर (आरएनएस)। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियो को अवैध शराब, गांजा एवं संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग कर वैधानिक कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये गए हैं। जिस लगातार संदिग्ध व्यक्तियों एवं अवैध शराब एवं अवैध कारोबारियों पर सतत् नजर रखी जा रही है। इसी तारतम्य में थाना कुरूद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि प्रदीप हॉस्पिटल रोड ओवर ब्रिज के पास छोपड़ी कुरूद में एक व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने की सूचना पर कुरूद पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए सूचना के आधार पर रेड कि कार्यवाही कर संदेही को गांजा बिक्री करते रंगे हाथ गवाहों के समक्ष पकड़ा गया जिससे नाम पता पूछा गया जो अपना नाम जीतु यादव पिता .स्व.सेवक राम यादव उम्र 47 वर्ष साकीन रेल्वे स्टेशन पारा कुरूद,जिला धमतरी का रहने वाला बताया जिससे मादक पदार्थ को उपस्थित गवाहों को तस्दीक कराया गया जो मनोउत्तेजक मादक पदार्थ गांजा होने से कुल वजनी 800 ग्राम का होना पाया गया जो किमती लगभग 8000/- रूपये एवं बिक्री रकम 970/- रूपये कुल 8970/- रूपये को सील बंद कर गवाहों के समक्ष जप्त किया गया एवं आरोपी के विरुद्ध थाना कुरुद में अप0क्र018/25 धारा 20 (बी) नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

पसीना बहाने वाले, रचते हैं इतिहास : मंत्री रामविचार नेताम

❒ राजधानी के प्रयास बालिका विद्यालय में कम्प्यूटर लैब उद्घाटन

❒ छात्रावास के किचन आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित

रायपुर

आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि बेटियां आज चार-दीवारी से बाहर निकलकर सपना गढऩे में लगी हैं, कहते हैं कि जो पसीने से भीगते हैं वह इतिहास बदलते हैं। नेताम आज राजधानी रायपुर के गुढिय़ारी स्थित बालिका प्रयास आवासीय विद्यालय में आयोजित नवादिम कम्प्यूटर लैब का शुभारंभ अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके प्रयास विद्यालय में पढक़र एमबीबीएस के लिए चयनित हुए विद्यार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए।

आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने विद्यार्थियों से कहा कि एकाग्र मन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करें। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हमारी सरकार द्वारा हरसंभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राज्य के होनहार बच्चों को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सहित यूपीएस परीक्षा की तैयारी के लिए अब दिल्ली स्थित ट्रायबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 सीट कर दिया है।

आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने प्रयास विद्यालय में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे चार बच्चियों को 50-50 हजार रूपए का चेक प्रदान किया। विभाग द्वारा प्रयास छात्रावास में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए भोजन पकाने के लिए रोटी मेकर, इडली बैटर ग्राइडंर, वेजीटेबल कटर व डीप फ्रिजर तथा रेफ्रिजरेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

गौरतलब है कि राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के कमजोर वर्गों के बच्चों के साथ-साथ माओवादी पीडित बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छे वातावरण उपलब्ध कराने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित कर रही है। राजधानी रायपुर के गुढिय़ारी स्थित बालिका प्रयास आवासीय विद्यालय में 620 विद्यार्थी अध्ययनरत है। यहां पढ़ाई के साथ-साथ इंजीनियरिंग तथा मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा हेतु नि:शुल्क कोचिंग भी प्रदान की जाती है। इस वर्ष 13 विद्यार्थियों का एमबीबीएस में और तीन विद्यार्थियों को बीडीएस के लिए चयन हुआ है।

इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त पी.एस. एल्मा, अपर संचालक संजय गौड़, आरएस भोई, पार्षद कामनी पुरूषोतम देवांगन, बालिका प्रयास आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी मंजुला तिवारी, सहित छात्राएं उपस्थित थी।

कनिष्ठ न्यायिक सेवा अधिकारी की सेवा समाप्त

बिलासपुर-रायपुर | आरएनएस

महासमुंद में कार्यरत कनिष्ठ न्यायिक सेवा अधिकारी आकांक्षा भारद्वाज की सेवाओं को विधि एवं विधायी विभाग ने हाईकोर्ट की अनुशंसा पर समाप्त कर दिया है। पिछले महीने, भारद्वाज ने सिंगल बेंच में अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ दायर मुकदमा जीतने के बाद पुन: नियुक्ति प्राप्त की थी। राज्य सरकार ने 14 जनवरी को हाई कोर्ट की अनुशंसा पर उनकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि आकांक्षा भारद्वाज को सात वर्ष पहले बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि, उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर उन्हें सीनियर सिविल जज (2) के पद पर पुन: नियुक्ति दी थी। 3 दिसंबर 2024 को उन्हें महासमुंद में पदस्थ किया गया था। आकांक्षा भारद्वाज का चयन 2012-13 में सिविल जज (प्रवेश स्तर) के पद के लिए हुआ था। उन्हें 12 दिसंबर 2013 को दो साल की परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 27 दिसंबर 2013 को जॉइन किया। प्रशिक्षण के बाद, अगस्त 2014 में उन्हें अंबिकापुर में प्रथम सिविल जज वर्ग-2 के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। उनका आरोप था कि जब वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से न्यायिक मामलों में मार्गदर्शन लेने जाती थीं, तो उनका व्यवहार अनुचित होता था, जिसके बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की। बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने 9 फरवरी 2017 को जारी बर्खास्तगी आदेश रद्द किया जाए और उन्हें पुराने वेतन के बिना सिविल जज-2 के पद पर वरिष्ठता के साथ बहाल किया जाए। इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट और विधि एवं विधायी विभाग ने अपील की थी। अब, 14 जनवरी को अतिरिक्त सचिव दीपक कुमार देशलहरे ने उनकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है। 6 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने उनकी सेवा समाप्त करने की अनुशंसा की थी, जिस पर विधि एवं विधायी विभाग ने अंतिम आदेश जारी किया।

पीएम आवास योजना : पात्र हितग्राहियों के पंजीयन के लिए नए नियम लागू

❒ घर-घर जाकर किया जाएगा पीएम आवास 2.0 का सर्वे

सुकमा | आरएनएस

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ किया गया है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में निवासरत गरीब व बेघर पात्र परिवारों हेतु सभी के लिए पक्का आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत, मंत्रालय के क्रियान्वयन में 2024-25 से 2028-29 तक वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु नया मापदंड तैयार किया गया है। जिसके अंतर्गत मोटरयुक्त तिपाहिया व चौपहिया वाहन। मशीनीकृत तिपाहिया व चौपहिया कृषि उपकरण। 50 हजार रुपए अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड। ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। सरकार के पंजीकृत गैर कृषि उद्यम परिवार। ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार से अधिक कमा रहा है। आयकर देने वाले परिवारा।व्यवसाय कर देने वाले परिवार। ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो। ऐसे परिवार जिसके पास 05 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2018 में तैयार की गई आवास प्लस के सूची के अनुसार छुटे हुए पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जावेगा तथा नये मापदण्ड के आधार पर सभी पात्र परिवारों को आवास प्लस सूची में शामिल किया जावेगा।

विदित हो कि सर्वे करने वाले प्रगणक का पंजीयन आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अनिवार्य कर दिया गया है। सर्वे करने के लिए तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक को प्रगणक बनाया गया है।

शासन के निर्देशानुसार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत सभी पात्र परिवारों का सर्वे कार्य आवास प्लस मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। अगर किसी कारण से सर्वे हेतु कोई पात्र परिवार छुट जाता है तो हितग्राही ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्र से संपर्क कर अपना सर्वे कार्य पूर्ण करा सकते है। पात्र हितग्राही स्वयं आवास प्लस मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए संबंधित जनपद एवं ग्राम पंचायत के सचिव से सीधा संपर्क किया जा सकता है।

जशपुर में नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए पालना केन्द्र शुरू

जशपुर | आरएनएस

कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन में महिला बाल विकास विभाग द्वारा जिले के जशपुर परियोजना के अंतर्गत नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए पालना केन्द्र खोला गया है।

उद्देश्य महिला बाल विकास विभाग के तहत बच्चों का पालन केन्द्र एक ऐसी संस्था होती है जो विशेष रूप से बच्चों के विकास, देखभाल और संरक्षण के लिए कार्य करती है। इन केन्द्रों का उद्देश्य बच्चों की शारीरिक, मानसिक, और भावनात्मक देखभाल करना है। यह केन्द्र विशेष रूप से उन बच्चों के लिए होते हैं जिनके माता-पिता या अभिभावक किसी कारणवश बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रहे होते, या जिन्हें सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

बाल देखभाल केन्द्र में बच्चों को सुरक्षित वातावरण में पालन-पोषण, शिक्षा और खेलकूद जैसी गतिविधियाँ प्रदान की जाती हैं, ताकि वे स्वस्थ और खुशहाल तरीके से बढ़ सकें। ये केन्द्र बच्चों के लिए एक संरक्षित स्थान होते हैं, जहाँ उनका शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित किया जाता है।

सूने मकान में चोरी करने वाले शातिर से लाखों का माल बरामद

बलौदाबाजार-भाटापारा (आरएनएस)। प्रार्थी चोलेश साहु उर्फ पिन्टु ग्राम छाछी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके मकान मे अज्ञात चोर द्वारा घर में घुसकर, अंदर रखे सोने चांदी के आभुषण, नकदी रकम तथा घर के सामने खडी क्रेटा कार को चोरी कर ले गया है, जिस पर थाना कसडोल में अपराध क्रमांक 50/2025 धारा 331(3) 305(ए) बीएनएस का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस द्वारा घटनास्थल का सुक्ष्म निरीक्षण के साथ, एफएसएल की टीम द्वारा भी घटनास्थल का विधिवत निरीक्षण किया गया। साथ ही पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच एवं विवेचना के दौरान संदेही दिलीप कुमार कश्यप को हिरासत मे लेकर पुछताछ किया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा प्रार्थी के घर अंदर प्रवेश कर चोरी करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपी से चोरी किये गये मशरूका में से 01 क्रेटा कार क्रमांक 5289, सोने के जेवर, नकदी रकम, जक मोबाइल एवं स्मार्ट वाच सहित कुल किमती 11,01,900 को बरामद करने में सफलता मिली है। साथ ही प्रकरण में आरोपी से चोरी मे प्रयुक्त मोटरसायकल, 02 नग कटर, गुलाबी रंग का टार्च एवं 02 नग मोबाइल को भी जप्त किया गया है। आरोपी को आज दिनांक 19.01.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। सम्पूर्ण कार्यवाही मे उनि एस.आर नायक, प्रआर राजु टण्डन, भीम साहु आरक्षक मृत्युंजय महिलांगे, प्रताप बंजारे, कमलेश्वर बर्मन एवं थाना गिधौरी से आरक्षक सुजीत तम्बोली, अमीर राय का विशेष योगदान रहा। आरोपी- दिलीप कुमार कश्यप उम्र 22 साल निवासी ग्राम कटौद थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा

22 वाहन चालकों पर कार्यवाही कर रू.6600 समन शुल्क वसूला गया

रायपुर | आरएनएस

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा आपरेशन विश्वास के तहत यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, सांथ ही जिले में सडक़ दुर्घटनाओ की रोकथाम, सुगम एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के लिए, यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही करने हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम मे दिनांक 18.01.2025 को यातायात पुलिस द्वारा सडक़ मार्ग में दो-पहिया वाहन में तीन सवारी, बिना नंबर के वाहन चलाने वाले, नो-पार्किंग में अपने वाहन खडा करने वाले एवं हेलमेट पहने बिना दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई किया गया है। यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान में दोपहिया वाहन में तीन सवारी चलने वाले 22 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर 6600 समन शुल्क वसूला गया है। बिना नंबर के वाहन चलाने वाले 15 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही कर रू.4500 समन शुल्क, नो-पार्किंग में वाहन खडा करने वाले 18 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही कर रू.5400 समन शुल्क वसूल एवं हेलमेट पहने बिना दोपहिया वाहन चलाने वाले 09 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही कर रू.4500 समन शुल्क वसूल किया गया है। दिनांक 18.01.2025 को पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 77 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर रू.23,100 समन शुल्क वसूल किया गया है। जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमो के प्रति जागरूकता एवं यातायात नियमो के पालन हेतु सख़्ती से लगातार कार्यवाही की जा रही हैं। पुलिस आम नागरिकों से अपील करती हैं कि आप सभी यातायात के नियमों का पालन करें एवं जिले में सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए यातायात नियमों का सदैव पालन करें। पुलिस आपकी सेवा एवं सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर हैं।

ट्रेन से टकराकर युवक की मौत

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (आरएनएस)। पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन के गोरखपुर रेल्वे फाटक के पास एक 40 वर्षीय युवक दुर्गेश यादव की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। घटना के वक्त रेलवे फाटक बंद था, इसी दौरान दुर्गेश ट्रैक पार करने लगा और मेमू ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना के बाद मौके पर पेंड्रा रोड और गौरेला पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का रेलवे प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भडक़ उठा और मौके भीड़ इकठ्ठा हो गई। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 15 दिनों के भीतर रेलवे प्रशासन ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो वे अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगे। भाजपा के किसान नेता बृज लाल राठौर ने बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर स्थित पेंड्रारोड स्टेशन के पास गोरखपुर गांव के रेलवे फाटक की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि यहां रेलवे के रिकार्ड में दो अंडरब्रिज बने हुए हैं, लेकिन उनमें पानी भरा रहता है और आवागमन के लिए कोई उचित साधन नहीं है। हर दो घंटे में इस क्षेत्र में लगभग एक किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। जिससे स्थानीय लोगों को भारी असुविधा होती है। राठौर ने कहा कि आवागमन की यह समस्या न केवल आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि मेडिकल आपातकाल के दौरान कई दुर्घटनाओं का कारण बन चुकी है। आज एक 40 वर्षीय युवक की मृत्यु भी हो गई, जो रेलवे फाटक के बंद होने के कारण समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका। उन्होंने ने यह भी बताया कि कई बार सांसद, विधायक और रेल मंत्री के नाम ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगले 15 दिनों में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो ग्रामवासी अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन करेंगे और तब रेलवे प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होगी। स्थानीय नागरिक संतोष तिवारी ने भी अपनी बात रखते हुए बताया कि बिलासपुर से कटनी तक सभी छोटे फाटकों पर अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का निर्माण हो चुका है, लेकिन गोरखपुर फाटक के मामले में रेलवे प्रबंधन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में स्कूल, यूनिवर्सिटी और अन्य सुविधाएं हैं, जिससे यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके, रेलवे द्वारा ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है और स्थानीय लोग लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं। संतोष तिवारी ने एंबुलेंस के जाम में फंसने की वजह से मरीजों की मृत्यु का भी उल्लेख किया, जो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि अगर इस समस्या का समाधान जल्द नहीं निकाला गया, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तेलंगाना एवं मध्यप्रदेश की अंग्रेजी शराब जिले में थी खपाने की तैयारी, पुलिस ने तस्करों को दबोचा

❒ आरोपियों के कब्जे से 207 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त

बीजापुर-रायपुर | आरएनएस

दिनांक 18/01/2025 को बीजापुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम हीरापुर में अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि स्कूलपारा बासागुड़ा निवासी तिरूपति जंगम के द्वारा हीरापुर निवासी आयतु कारम के घर में अवैध अंग्रेजी शराब छिपाकर रखा गया है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक, बीजापुर डॉ. जितेंद्र कुमार यादव के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी आवापल्ली तिलेश्वर यादव के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बासागुड़ा निरीक्षक मनोज सिंह के नेतृत्व में थाना बासागुड़ा द्वारा यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी तिरूपति जंगम की निशानदेही पर आयतु कारम के घर में छापेमारी कर तेलंगाना एवं मध्यप्रदेश राज्य के अवैध अंग्रेजी शराब गोवा 116 पेटी (प्रत्येक पेटी में 50 पौवा) व पेटी से खुला हुआ 252 पौवा कुल 1089.360 लीटर मेक डॉवल्स नंबर 1 की 07 पेटी (प्रत्येक पेटी में 48 पौवा) कुल 60.480 लीटर, एवं किंग फिशर बीयर 82 पेटी (प्रत्येक पेटी में 12 बॉटल) कुल 639.600 लीटर जुमला 1789.440 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख 73 हजार 800 रुपये है। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी तिरूपति जंगम ने बताया कि गीदम निवासी सुल्तान द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब लाकर हीरापुर कारमपारा में आयतु कारम के घर में छोडऩा एवं समय समय पर अन्य जगह ले जाकर बिक्री करना बताया गया। तिरूपति जंगम हीरापुर कारमपारा निवासी आयतु कारम के घर में किराए का कमरा लेकर शराब रखता थाद्य तिरूपति जंगम से शराब रखे जाने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे जाने पर कोई दस्तावेज नही होना बताया गया। जिस पर मौके से उक्त अवैध शराब की वीडियोग्राफी कर गवाहों के समक्ष जप्ती कार्यवाही कर अवैध अंग्रेजी शराब को कब्जे में लिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अवैध शराब ब्रिकी के मामले में संलिप्त अन्य लोगो के सबंध में आगे की जांच की जा रही है। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी :-

1. तिरूपति जंगम पिता स्व0 सारैया जंगम उम्र 51 वर्ष निवासी बासागुड़ा थाना बासागुड़ा जिला बीजापुर।
2. आयतु कारम पिता स्व0 कारम बंडी उम्र 55 वर्ष निवासी हीरापुर कारमपारा थाना बासागुड़ा जिला बीजापुर।